यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी, देहरादून के माह **सितंबर 2019** से **फरवरी 2021** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपक मालवीय, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शरद चौधरी,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 22/03/2021 से 26/03/2021 तक श्री बी.सी. मुखर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(i) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा माह 02/2016 से माह 08/2019 तक की लेखापरीक्षा श्री एस. के. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री संदीप चौधरी, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा श्री डी. एन. मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में दिनांक 21/09/2019 से 26/09/2019 तक की गयी थी।

(ii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी, देहरादून** के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विकास खंड रायपुर केआर ग्रामीण क्षेत्र, ऋषिकेश के शहरी क्षेत्र एवं सहसपुर विकास क्षेत्र के अंतर्गत संपादित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो (राज्य योजना/ जिला योजना/ निक्षेप मद में स्वीकृत कार्य आदि का निर्माण तथा सुधार) के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के उपरांत अधीनस्थ अवर अभियंताओ एवं सहायक अभियन्ताओं के माध्यम से आगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिए उत्तरदायी हैं। समस्त कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जिलाधिकारी के अधीन कार्यों की प्रगति अनुश्रवण तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यों के लिए निर्धारित स्तर से निविदा आमंत्रण कार्य प्रगति, अनुश्रवण तथा मानको से संतुष्ट होने पर भुगतान की कार्यवाही किए जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

(iii) बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**मुख्य लेखाशीर्ष**	**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत**	**टिप्पणी**
	स्थापना	**गैर स्थापना**		**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**			
2018-19	-	81.32	-	164.79	156.00	639.52	340.22	-	389.42	
2019-20	8.793	380.62	-	158.25	167.05	1497.06	1123.67	-	754.01	
2020-21 (02/2021 तक)		754.01	-	211.07	211.07	632.10	760.05	-	626.05	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत(-) अधिक्य(+)
2018-19	-	-	174.4	69.92	104.48
2019-20	-	104.48	1055.49	199.93	959.88
2020-21 (02/2021 तक)	-	959.88	73.77	73.77	159.88

(iv) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**C**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, पेयजल उत्तराखंड शासन

⬇

प्रबन्ध निदेशक पेयजल निगम देहरादून उत्तराखंड

⬇

मुख्य अभियंता गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी

⬇

अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल, नई टिहरी

⬇

अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी, देहरादून

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखापरीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **फरवरी 2020** को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(अ)

प्रस्तर:1- पेयजल निगम द्वारा भारत सरकार से वन भूमि पर कार्य निष्पादन का विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना,भारत सरकार को विलम्ब से Utilization Certificate प्रेषित किया जाना, GCC के क्लॉज़ के अनुसार insurance नहीं कराया जाना एवं ठेकेदार को भुगतान किए गए देयक से retention money, mobilization advance पर देय व्याज एवं labour cess की कटौती न कर ठेकेदार को ₹ 84.58 लाख का लाभ पहुचाना।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के धारा 2 (ii)के प्रावधान के अनुसार,'किसी वन भूमि एवं उसके प्रभाग को किसी वनेतर प्रयोजन के लिये,केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना,उपयोग नहीं किया जायेगा'।

मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा ₹ 187.39 करोड़ (कार्य का लागत ₹166.57 करोड़ + सेंटेज 20.82 करोड़) का DPR भारत सरकार को प्रेषित किया गया था जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा सेंटेज को हटाते हुये ₹144.46 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई एवं मार्च 2019 को ₹ 8.00 करोड़ अवमुक्त किया गया। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त योजना इस शर्त पर स्वीकृत किया गया था कि उक्त योजना के सापेक्ष स्वीकृत राशि तीन किस्तों में (₹ 8.00 करोड़ का प्रथम किस्त सहित) वर्ष 2018-19 से 2020-21 के समयावधि में अवमुक्त किया जायेगा, राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा अवमुक्त राशि के सापेक्ष Utilization Certificateभारत सरकार को प्रेषित करना होगा एव time and cost overrunके कारण यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की होगी एवं उन्ही के द्वारा उसे वहन किया जायेगा। पेयजल निगम द्वारा उक्त कार्य के निष्पादन हेतु M/s R. K. Engineer Sales Ltd. के साथदिनांक 09.01.2020 को अनुबन्ध गठित की गई (25/SE/2019-20) । ठेकेदार केसाथगठित अनुबन्ध में अन्य प्रावधान के साथ-साथ निम्न प्रावधान भी किया गया था।

- GCCके क्लॉज़ 13 के अनुसार ठेकेदार को Loss of or damage to equipments; Loss of or damage of property in connection with the contract; and Personal injury or death लिए अनुबंध के प्रारम्भ की तिथि से Defects liability period तक insurance कराया जाना था एवं यदि ठेकेदार द्वारा insurance न कराये जाने की स्थिति मे निगम द्वारा insurance कराया जायेगा एवं उसकी धनराशि ठेकेदार से वसूला जायेगा।
- GCCके क्लॉज़ 48/ Contract Data के अनुसार ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक देयक से 5 प्रतिशत धनराशि retain किया जाना था:
- GCC के क्लॉज़ 51/ Contract Data में ठेकेदार को bid amount के 10% तक की धनराशि ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए unconditional bank guarantee के सापेक्ष 10% वर्षित व्याज के दर पर mobilization advance प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।
- इसी प्रकार Special condition of contract के अंतर्गत Labour Laws/Regulation के compliance में इकाई को ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक देयक से 1% labour cess की कटौती किया जाना था।

निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पेयजल निगम द्वारा उपरोक्त योजना हेतु भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये बिना वन भूमि में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, एवं भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 को अवमुक्त ₹ 8.00 करोड़ के सापेक्ष Utilization Certificate 24 माह पश्चात केवल ₹7.74 लाख प्रेषित किया गया इसी प्रकार GCC के क्लॉज़ 13 के अनुसार अनुबंध के प्रारम्भ की तिथि से Defects liability period तक insurance कराये जाने के संबंध में निर्माण

शाखा द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त ठेकेदार को किए गए भुगतान देयक से उपरोक्त GCCक्लॉजों के अनुसार न तो retention money ₹ 36.19[1] लाख की कटौती की गयी, न mobilization advance पर देय व्याज ₹41.93[2] लाख की कटौती की गयी और न ही labour cess के सापेक्ष ₹6.46[3] लाख की कटौती की गयी है। इस प्रकार ठेकेदार को भुगतान किए गए देयक से retention money,mobilization advanceपर देय व्याज एवं labour cessकी कटौती न कर ठेकेदार को ₹ 84.58 लाख[4] का लाभ पहुचाया गया।इसी प्रकार इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि पेयजल निगम द्वारा समय से भारत सरकार को Utilization Certificate प्रेषित न किये जाने के कारण भारत सरकार से प्रथम किस्त के पश्चात कोई और किस्त अवमुक्त न किये जाने के कारण time and cost overrun के कारण यदि कोई अतिरिक्त व्यय होगा जिसकी ज़िम्मेदारी राज्य सरकार को वहन करना होगा एवं पेयजल निगम द्वारा GCCके क्लॉज़ 13 के अनुसार न तो ठेकेदार द्वारा insurance किया गया और न ही पेयजल निगम द्वारा insurance की कार्यवाहि की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर निर्माण शाखा द्वारा उत्तर दिया गया कि विधिवत स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है, ठेकेदार द्वारा insurance कराया गया है एवं योजना में धनाभाव के कारण संबन्धित कटौतियां (retention money, mobilization advance पर देय व्याज एवं labour cess की कटौती) नहीं की जा सकी। निर्माण शाखा द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही वन भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए, उपरोक्त आवश्यक कटौतिया ठेकेदार को देय भुगतान से समायोजित करना चाहिए था एवं ठेकेदार द्वारा insurance कराये जाने के सम्बंध में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार निर्माण शाखा द्वारा ठेकेदार को भुगतान किए गए देयक से retention money, mobilization advance पर देय ब्याज एवं labour cess की कटौती न कर ठेकेदार को ₹ 84.58 लाख का लाभ पहुचाने GCC के क्लॉज़ 13 के अनुसार insurance नहीं कराये जाने एवं भारत सरकार से वन भूमि पर कार्य निष्पादन का विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने एवं भारत सरकार को विलम्ब से Utilization Certificate प्रेषित किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

---

[1] ₹ 72380000 का 5%

[2]

No. of MA	Date	Amount	Duration upto next MA/ Bill date (14.10.2020)	Interest (@ 10%)
1st	01.02.2020	22500000	6 days	36986.00
2nd	07.02.2020	25000000 (47500000)	29 days	377397.00
3rd	07.03.2020	14915000 (62415000)	221 days	3779100.00
Total				4193483.00

[3] 64625000 का 1%

[4] ₹36.19 लाख + ₹41.93 लाख + 6.46 लाख

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 1 : ₹ 388.34 लाख की योजना स्वीकृति के लगभग 4 वर्ष बाद भी अपूर्ण रहना व कार्य का बीमा न कराया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग 6 के प्रस्तर 378 के अनुसार:- *"No work should be commenced in land which has not been duly made over by the responsible civil officers."*

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 814/उन्तीस(2)/17-2(80पे°/2018 दिनांक 08 जून 2017 के द्वारा ₹388.34 लाख की देहरादून के अंतर्गत भट्टाफाल एसटीपी 3.12 mld इफ़्ल्यूयेन्ट डिस्पोजल योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण धनराशि वर्ष 2019-20 में विभाग को प्राप्त हो गयी थी। उक्त कार्य के निष्पादन हेतु मेसर्स सकलानन्द लखेड़ा के साथ एक अनुबन्ध 03/SE/2017-18 दिनांक 01.05.2018 लागत 255.06+GST गठित किया गया।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी की लेखापरीक्षा (माह मार्च 2021) में पाया गया कि वर्ष 2015 में पूर्ण हुई 3.12 एमएलडी की एसटीपी के इफ़्ल्यूयेन डिस्पोजल स्थल के विवाद के कारण संचालित नही किया जासकी जिसके कारण उक्त योजना का प्रावधान किया गया। आगे लेखापरीक्षा में पाया गया कि वन भूमि की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण कार्य समाप्ति की तिथि को पुनरीक्षित करते हुये दिनांक 06.12.2019 निर्धारित की गयी व पुनः स्थल विवाद होने के कारण कार्य को रोक दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इकाई द्वारा सही से सर्वे व योजना न बनाए जाने के कारण STP बनने के लगभग 6 वर्ष व योजना की स्वीकृति के लगभग चार वर्ष बाद भी उससे निकलने वाले इफ़्ल्यूयेन्ट डिस्पोजल हेतु योजना पूर्ण नहीं हो पायी है। लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य पर सेंटेज सहित ₹ 279.74 लाख का व्यय के किया जा चुका था व ठेकेदार को माह सितम्बर 2019 के बाद से कोई भी भुगतान नही किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अनुबंध में कार्य का बीमा ठेकेदार द्वारा कराये जाने का प्रावधान था परन्तु कार्य का बीमा नहीं कराया गया था।

प्रकरण इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि कार्य पूर्ण कराये जा रहे है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना को दिसंबर 2018 में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए जिसको इकाई आतिथि तक (मार्च 2021) पूर्ण करने में विफल रहा था। बीमा के संबंध में इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि ठेकेदार को अनेकों बार मौखिक एवं पत्र के द्वारा बीमा कराये जाने हेतु कहा गया परंतु बीमा नहीं कराया गया। आगे के देयकों से बीमा की धनराशि की कटौती कर ली जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य प्रारम्भ हुये दो वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी इकाई द्वारा कार्य का बीमा नहीं कराया जा सका था।

अतः ₹ 3.88 करोड़ की योजना स्वीकृति के लगभग 4 वर्ष बाद भी अपूर्ण रहने के कारण एसटीपी तैयार होने के 6 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी पूर्ण लाभ न मिलने व कार्य का बीमा न कराया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 2: ₹ 95,070 राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 1763/VII-1/2017/8-ख/16 दिनांक 17.11.2017 तथा अधिसूचना संख्या 1621/VII-1/2017/8-ख/16 दिनांक 17.11.2017 के माध्मय से उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2017 प्रख्यापित की गयी थी। उक्त नियमावली 12 जनवरी 2015 को प्रवृत्त हुयी समझी जाएगी। न्यास के मुख्य उद्देश्य: (1) खनन संक्रियाओं या अन्य संबन्धित क्रियाकलापों एवं खनिज परिवहन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित तथा उनकी प्रसुविधा के लिए कार्य करना; (2) प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिए ज़िला खनिज फाउंडेशन में संग्रहीत निधियों का उपयोग करना; और (3) ग्राम सड़क, जलीय स्थान एवं अन्य सामान्य सुविधाओं को विकसित करने हेतु संबन्धित ग्राम पंचायत के परामर्श पर निधि का उपयोग करना, है। उक्त नियमावली के प्रस्तर 10 (न्यास निधि हेतु अंशदान) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जाये।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा (माह मार्च 2021) में चयनित माह फरवरी 2020 के वाउचरों की जांच में पाया गया कि उक्त इंगित प्रावधानों का अनुपालन न करते हुये निम्न तालिका के अनुसार ठेकेदारो के देयकों से रॉयल्टी के सापेक्ष न्यास निधि (रॉयल्टी का 25%) की कटौती नही की गई थी।

(₹ में)

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	अनुबंध/ वर्क ऑर्डर संख्या	काटी गई रॉयल्टी की राशि	नहीं काटी गयी जिला न्यास निधि की धनराशि
1	धनपाल रावत	02/EE/2018-19	11087	2772
2	राजेंदर सिंह मेलवान	EE WO No. 20/104 दिनांक 10.08.2019	2029	507
3		EE WO No. 21/104 दिनांक 10.08.2019	1667	417
4	गजेंदर सिंह	EE WO No. 17/104 दिनांक 10.08.2019	2081	520
5		EE WO No. 19/104 दिनांक 10.08.2019	2787	697
6	संदीप सिंह	EE WO No. 16/104 दिनांक 10.08.2019	1410	353
योग			**21061**	**5266**

आगे जांच में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि में इकाई द्वारा ठेकेदार द्वारा फॉर्म J/M !! प्रस्तुत न करने पर ₹ 380279 रॉयल्टी के रूप में कटौती की गयी थी। उक्त रॉयल्टी के सापेक्ष न्यास निधि की कटौती न किए जाने के कारण राज्य को ₹ 95070 की हानि हुई साथ ही ठेकेदारो को अदेय लाभ पहुंचाया गया।

प्रकरण इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि शासनादेश उपलब्ध न होने के कारण न्यास निधि की कटौती नहीं की गयी। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि न्यास निधि का आदेश जारी हुये तीन वर्ष से ज्यादा व्यतीत हो चुके है व तीन वर्ष बाद भी शासनादेश का संज्ञान न होना इकाई की उदासीनता का प्रतीक है।

अतः न्यास निधि की कटौती न किए जाने के कारण ₹ 95070 के राजस्व हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर: 3 - अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिको को नियोक्ता (Employer) द्वारा धनराशि ₹ 2,00,876/- का कम भुगतान।

अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान का प्रावधान है, और इसी के समतुल्य मासिक अंशदान का प्रावधान नियोक्ता (Employer) द्वारा था, परंतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या: 169/42/XXVII (10)/2016/2019 दिनांक: 12 जून 2019 के द्वारा नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को दिनांक: 01 अप्रैल 2019 से 10% से बढ़ाकर 14% (मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का) कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी, देहरादून में उक्त पेंशन योजना में कार्यरत कार्मको के एनपीएस अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्मिको के तो निर्धारित अंशदान (10%) की मासिक कटौती उनके वेतन से की जा रही है, परंतु 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता (Employer) द्वारा निर्धारित पूर्णअंशदान (14%) मासिक रूप से कार्मिको को नहीं दिया जा रहा है। इसके स्थान पर उन्हे पूर्व से लागू मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान को दिया जा रहा है। जिसकी वजह से कार्मिको को प्रति माह 4% अंशदान कम मिल रहा है। अर्थात उन्हे नियोक्ता की तरफ से 4% मासिक अंशदान कम प्राप्त हो रहा है।

उक्त योजना में वर्तमान में कार्यालय में कुल 06 कार्मिक कार्यरत थे। जिनको 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता द्वारा कम भुगतान किए गए अंशदान की धनराशि की गणना जब लेखापरीक्षा द्वारा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर की गई, तो पाया गया कि नियोक्ता द्वारा उक्त सभी कार्मिको को 01 अप्रैल 2019 से वर्तमान तक (02/2021) **कुल धनराशि 2,00,876/-**का **कम अभिदान (विवरण संलग्न)** किया गया।

उक्त सभी कार्मिको के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि उक्त से संबंधित कोई दिशा निर्देश मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुए। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। अत: अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा कम अभिदान की गई धनराशि **₹ 2,00,876/-** का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>संलग्नक</u>

(रु में)

क्र.सं.	**नाम व पदनाम**	**नियोक्ता द्वारा किया गया अभिदान**	**नियमानुसार नियोक्ता द्वारा किया जाने वाला अभिदान**	**किया गया कुल कम अभिदान**
1.	श्रीमती भारती रावत, स. अभि.	38,025/-	53,265/-	15,210/-
2.	श्री रितेश शर्मा, अ. स. अभि.	1,49,237/-	2,08,939/-	59,702/-
3.	श्री मान सिंह रावत, अ. स. अभि.	1,53,760/-	2,15,273/-	61,513/-
4.	श्रीमती प्रार्थना गुप्ता, प्र.स.	97,254/-	1,36,152/-	38,898/-
5.	श्री हेमंत कुमार, वरि.स.	23,912/-	33,481/-	9,569/-
6.	श्री निखिल तनेजा,कनि.स.	39,971/-	55,955/-	15,984/-
			किए गए कुल कम अभिदान का योग :	**2,00,876/-**

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर: 4- विभागीय उदासीनता के फलस्वरूप लंबित वसूली ₹123.38 लाख ।

अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन, विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी, देहरादून के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि माह फरवरी 2021 के अंत मे विभिन्न ठेकेदारों को प्रदान अग्रिम ₹123.38 लाख की धनराशि लेखा परीक्षा अवधि (मार्च 2021) ठेकेदारो के सापेक्ष समायोजन हेतु लंबित थी जिसका विवरण निमन्वत है-

(₹ में)

क्र सं	**ठेकेदार का नाम**	**अवधि**	**धनराशि**
1	मै सुनील सिंह रौंचेला	08/2016	46433.00
2	मै दिनेश डंगवाल	08/2016	271699.00
3	मै ए टु ज़ेड इन्फ्रा इंजीनियर प्रा. लि.	08/2016	4389066.00
4	मै बचन सिंह रावत	08/2016	10533.00
5	आर के इंजीनियर सेल्स लि.	05/2020	7620000.00
	योग		**12337731.00**

उक्त ठेकेदारो को विभिन्न योजनाओ के सापेक्ष अग्रिम प्रदान किया गया था जिनका शाखा स्तर से समायोजन लेखा परीक्षा अवधि तक लंबित रखे जाने पर शाखा द्वारा उत्तर दिया गया कि संबन्धित योजनाये पूर्ण की जा चुकी है एवं धनराशि प्राप्त होने पर समायोजन किया जायेगा, साथ ही खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि इंगित योजनाओ मे कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि उक्त धनराशि अगस्त 2016 से समायोजन हेतु लंबित थी एवं खंड द्वारा न तो संबन्धित योजनाओ से संबन्धित अभिलेख एवं न ही उक्त के समायोजन हेतु कृत प्रयासो से संबन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध करा सका था। जो समायोजन के प्रति विभागीय उदासीनता को इंगित करता था।

अतः विभागीय उदासीनता के फलस्वरूप ₹ 123.38 लाख का समायोजन न किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या**	**प्रस्तर का विवरण**	
		भाग –II (अ)	**भाग –II (ब)**
1	210/2015-16	2,3,4,5	1,4
2	116/2019-20	-	2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा बताया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी की संस्तुति के साथ यथाशीघ्र प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून के कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

<u>आभार</u>

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम मसूरी, देहारादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य

सतत् अनियमितताएः शून्य

1. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

क्रम सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री सुभाष चन्द्र	अधिशासी अभियंता,	विगत लेखा परीक्षा से लेखापरीक्षा तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम मसूरी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार, ए.एम.जी.-II (Non-PSU), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)